



फा. सं: 1-1/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/खंड.11/2479-88  
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
Central University of Himachal Pradesh  
(Accredited by NAAC with 'A+' Grade with CGPA of 3.42)  
(सामान्य प्रशासन / General Administration)



धर्मशाला – 176215

दिनांक: 08 अप्रैल, 2025

### अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिनियम 11(1) के अनुसरण में माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन के अनुसार पूर्व में विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद के गठन से संबंधित जारी की गई अधिसूचना संख्या: 1-1/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/खंड.11/7048-57 दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया जाता है :-

| क्र. सं. | परिनियम 11 का उपवाक्य (Clause) | की क्षमता में (in the capacity of)                                                                                                               | सदस्य का पदनाम एवं नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सदस्यता की अवधि                                                                         |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | उपवाक्य (1)(i)                 | कुलपति, हि. प्र. के. वि.                                                                                                                         | जो भी कार्यकारिणी परिषद की सभा के समय कुलपति के पद पर पदासीन हो (अध्यक्ष)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पदेन सदस्य                                                                              |
| 2.       | उपवाक्य (1)(ii)                | प्रति कुलपति, हि. प्र. के. वि.                                                                                                                   | जो भी कार्यकारिणी परिषद की सभा के समय प्रति कुलपति के पद पर पदासीन हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पदेन सदस्य                                                                              |
| 3.       | उपवाक्य (1)(iii)               | सचिव, उच्चतर शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा उनके/उनकी नामिती                                                                           | सचिव, उच्चतर शिक्षा, एम्.एच.आर.डी., भारत सरकार अथवा उनके/ उनकी नामिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पदेन सदस्य                                                                              |
| 4.       | उपवाक्य (1)(iv)                | अध्यक्ष, यूजीसी अथवा उनके/ उनकी नामिती                                                                                                           | प्रो. निरंजन कुमार, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय (अध्यक्ष, यूजीसी अथवा उनके/ उनकी नामिती)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18.12.2025 तक                                                                           |
| 5.       | उपवाक्य (1)(v)                 | सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला                                                                                            | सचिव, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पदेन सदस्य                                                                              |
| 6.       | उपवाक्य (1)(vi)                | विजिटर द्वारा नामित 04 सदस्य जोकि शैक्षणिक क्षेत्र में उचित ज्ञान रखते हों                                                                       | 1. प्रो. प्रशांत कुमार गौतम, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़<br>2. प्रो. राजेश्वर चंदेल, कुलपति, डॉ.यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी-सोलन, हि.प्र.-173230<br>3. प्रो. रेखा शर्मा, डीन, भाषा संकाय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला<br>4. प्रो. रंजना अग्रवाल, निदेशक, सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-निस्पर), नई दिल्ली | 29.11.2024 से 28.11.2027                                                                |
| 7.       | उपवाक्य (1)(vii)               | कुलपति की संस्तुति पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित अन्य राज्यों से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के 03 सेवारत/केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के निदेशक | 1. प्रो. संजीव जैन, कुलपति, जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय ईमेल: vc@cujiammu.ac.in<br>2. प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल, पूर्व कुलपति, महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा-442005(महाराष्ट्र)<br>3. प्रो. नीलिमा गुप्ता, कुलपति डॉ. हरीसिंह गौर सागर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश-470003 F.No. 94123-76677 Email: vc@dhsgsu.edu.in                                                                                       | 10.10.2022 से 09.10.2025<br>06.09.2024 से 05.09.2027                                    |
| 8.       | उपवाक्य (1)(viii)              | कुलपति की संस्तुति पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित 02 श्रेष्ठ अकादमिक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों                               | 1. प्रो. नागेश ठाकुर, प्रोफेसर, भौतिक विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ईमेल:ntb668@yahoo.co.in nagesh.thakur@hpuniv.ac.in<br>2. प्रो. पंकज मित्तल, महासचिव, एआईयू, नई दिल्ली-110002 Email: sgoffice@aiu.ac.in                                                                                                                                                                                                                    | 02.09.2022 से 01.09.2025<br>28.04.2023 से 27.04.2026                                    |
| 9.       | उपवाक्य (1)(ix)                | कोर्ट द्वारा नामित एक सदस्य                                                                                                                      | प्रो. शशि कांत, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला मोबाइल नो: 9418070007 Email: shashikanthpu@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 08.04.2025 से 07.04.2028 अथवा जब तक विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य रहेंगे, जो भी पहले हो। |

|     |                      |                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                           |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | उपवाक्य<br>(1)(x)    | वरिष्ठता के आधार पर<br>चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा<br>नामित 04 स्कूलों के<br>अधिष्ठाता                    | 1. प्रो. मनोज कुमार सक्सेना,<br>अधिष्ठाता, शिक्षा स्कूल                              | वरिष्ठतम अधिष्ठाता के पद पर बने रहने<br>अथवा 19.03.2024 से 18.04.2027<br>तक, जो भी पहले हो।                               |
|     |                      |                                                                                                             | 2. प्रो. सुमन शर्मा, पर्यटन यात्रा एवं<br>आथित्य प्रबंधन स्कूल                       | वरिष्ठतम अधिष्ठाता के पद पर बने रहने<br>अथवा 13.08.2024 से 12.08.2027<br>तक, जो भी पहले हो।                               |
|     |                      |                                                                                                             | 3. प्रो. संजीत सिंह, समाज विज्ञान<br>स्कूल                                           |                                                                                                                           |
|     |                      |                                                                                                             | 4. प्रो. निरुपमा सिंह, अधिष्ठाता,<br>अभिनय कला एवं दृश्य कला<br>स्कूल                | वरिष्ठतम अधिष्ठाता के पद पर बने रहने<br>अथवा 08.04.2025 से 07.04.2028<br>तक, जो भी पहले हो।                               |
| 11. | उपवाक्य<br>(1)(xi)   | अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,<br>हि.प्र.के.वि.                                                                   | जो भी कार्यकारी परिषद की सभा के<br>समय अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के पद<br>पर पदासीन हो | पदेन सदस्य                                                                                                                |
| 12. | उपवाक्य<br>(1)(xii)  | वरिष्ठता के आधार पर<br>चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा<br>नामित एक प्रोफेसर जोकि<br>अधिष्ठाता न हो            | प्रो. आसुतोष प्रधान, प्रोफेसर, समाज<br>कार्य विभाग                                   | वरिष्ठतम प्रोफेसर(जो अधिष्ठाता न हो) के<br>पद पर बने रहने अथवा 22.07.2022 से<br>21.07.2025 तक, जो भी पहले हो।             |
| 13. | उपवाक्य<br>(1)(xiii) | वरिष्ठता के आधार पर<br>चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा<br>नामित एक एसोसिएट<br>प्रोफेसर जोकि अधिष्ठाता न<br>हो | डॉ. आर.पी. राय, एसोसिएट प्रोफेसर,<br>नव मीडिया विभाग                                 | वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर (जो<br>अधिष्ठाता न हो) के पद पर बने रहने<br>अथवा 08.04.2025 से 07.04.2028<br>तक, जो भी पहले हो। |
| 14. | उपवाक्य<br>(1)(Xiv)  | वरिष्ठता के आधार पर<br>चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा<br>नामित एक सहायक<br>प्रोफेसर                          | डॉ. आदिती शर्मा, सहायक प्रोफेसर,<br>हि.प्र.के.वि. बिजनेस स्कूल                       | वरिष्ठतम सहायक प्रोफेसर के पद पर<br>बने रहने अथवा 08.01.2024 से<br>07.01.2027 तक, जो भी पहले हो।                          |

(प्रो. सुमन शर्मा)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन: समसंख्या

दिनांक: 08 अप्रैल, 2025

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु अग्रेषित :-

- महामहिम भारत के राष्ट्रपति (माननीय कुलाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली के सचिव को कृपया माननीय कुलाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
- अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, आई.टी.ओ., नई दिल्ली - 110002
- मुख्य सचिव / प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला - 171002
- सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, दिल्ली - 110001
- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, आई.टी.ओ., नई दिल्ली - 110002
- वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र.।
- विभिन्न स्कूलों / विभागों / केन्द्रों के सभी अधिष्ठातागण / विभागाध्यक्ष / निदेशक / चेयरप्रोफेसर्स, हि.प्र.के.वि., शाहपुर परिसर, शाहपुर, धौलाधार परिसर। & धर्मशाला एवं, सप्तसिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा।
- सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित सदस्य।
- सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय - कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव 8/4/25